No. 13

अपील सूचना अधिकार संख्या 181/2015 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

26–12–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 27.10.15 के द्वारा उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचनाएं चाही गयी थी जो उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई हैं, जो उसे उपलब्ध करवाए जाने का आदेश दिया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

मैने अपीलार्थी के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 27.10.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय श्रीगंगानगर के पत्रांक 25456–457 दिनांक 20.10.2015 के संबंध में सूचनांएः–

1. आपके कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 25456–457 दिनांक 20.10.2015 पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर के रूप में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम की सूचना।
2. पत्रांक 25456–457 दिनांक 20.10.2015 को प्रार्थी को प्रेषण करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।
3. पत्रांक 25456–457 दिनांक 20.10.2015 के कार्यो का निष्पादन करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
4. पत्र प्रेषण करने वाले कर्मकार जिस वरिष्ठ अधिकारी के अधीन यू.डी. सी. व कार्यालय अधीक्षक के अधीन कार्यो का निष्पादन करता है उसका नाम व पद की सूचना।
5. जिस अवधि में उपरोक्त कर्मकार पद स्थापित है उस अवधि की सूचना व उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर ने अपना जबाब सं0 103 दि0 04.01.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभिलेखो का निरीक्षण करने हेतु निर्धारित अवधि में आवेदक को पत्र सं0 25856 दिनांक 05.11.2015 द्वारा सूचित कर दिया गया था। इसके उपरांत आवेदक आज तक उपस्थित नही आये।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 25856 दिनांक 05.11.2015 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर प्रेषित किया गया हैः–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्ट
श्रीगंगानगर
181/201



A3/2

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपने पत्रांक 5349 दिनांक 27.10.2015 में जिला निर्वाचन अधिकारी के पत्रांक 25456–57 दिनांक 20.10.2015 के संबंध में बिन्दुवार 4 बिन्दुओ पर सूचनांए चाही गई है/

सूचना के संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर, ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राज0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतू आवेदन कर सकते है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं0 1 से 5 तक की जो सूचनांए चाही गई है वह कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 05.11.2015 सही है फिर भी** सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 26.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( ज्ञाना राम )
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर